रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 157] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 20, 1972/फाल्गुन 30, 1893

No. 157] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 20, 1972/PHALGUNA 30, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 20th March 1972

S.O. 211(E).—Whereas a vacancy has occurred in the Council of States consequent upon the death of Shri Bhaurao Krishnarao Gaikwad a member elected to the Council of States by the elected members of the Legislative Assembly of the State of Maharashtra before the expiration of his term of office;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 147 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby calls upon the elected members of the Legislative Assembly of the State of Maharashtra to elect, in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder a person to fill the vacancy so caused before the 7th April, 1972 (Friday).

[No. 100/CS-MT/1/72(1).]

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 20 मार्च, 1972

एस० आ० 211(अ).—यतः, महाराष्ट्र विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के लिये निर्वाचित सदस्य श्री माउराव कृष्ण राव गायकवाड की अपनी पदावधि के अवसान से पूर्व मृत्यु हो जाने के कारण राज्य सभा में एक स्थान रिक्त हो गया है ;

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 147 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में निर्वाचन आयोग महाराष्ट्र राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों से एतद्द्वारा अपेक्षा करता है, कि वे ऐसे हुई रिक्ति को भरने के लिये 7 अप्रैल, 1972 (शुक्रवार) से पूर्व, उक्त अधिनियम के और तदधीन बनाये गये नियमों और आदेशों के उपबन्धों के अनुसार एक व्यक्ति निर्वाचित कर दें ।

[सं० 100/रा० स०—महा०/1/72(1)]

S.O. 212(E).—In pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 39 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby appoints for the election to the Council of States to be held in pursuance of its notification No. 100/CS-MT/1/72(1), dated the 20th March, 1972:—

(a) the 27th March, 1972 (Monday), as the last date for making nominations;

(b) the 28th March, 1972 (Tuesday), as the date for the scrutiny of nominations;

(c) the 30th March, 1972 (Thursday), as the last date for the withdrawal of candidatures;

(d) the 6th April, 1972 (Thursday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and

(e) the 7th April, 1972 (Friday), as the date before which the election shall be completed.

[No. 100/CS-MT/1/72(2).]

एस० आ० 212(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 39 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में निर्वाचित आयोग अपनी अधिसूचना सं० 100/रा० स० महा०/1/72 (1), तारीख 20 मार्च, 1972 के अनुसरण में राज्य सभा के लिये होने वाले निर्वाचन के बारे में .—

(क) नामनिर्देशन करने के लिये अन्तिम तारीख	27 मार्च, 1972 (सोमवार)
(ख) नामनिर्देशन की संवीक्षा तारीख	28 मार्च, 1972 (मंगलवार)
(ग) अभ्यर्थितायें वापस लेने की अन्तिम तारीख	30 मार्च, 1972 (वृहस्पतिवार)
(घ) वह तारीख जिसको यदि आवश्यक हो तो मतदान होगा	6 अप्रैल, 1972 (वृहस्पतिवार)
(ङ) वह तारीख जिसको पूर्व निर्वाचन समाप्त कर दिया जायेगा	7 अप्रैल, 1972 (शुक्रवार)

घोषित करता है ।

[सं० 100/रा० स०—महा०/1/72(2)]

S.O. 213(E).—In pursuance of section 56 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby fixes the hours from 10.00 A.M. to 1.00 P.M. as the hours during which a poll shall, if necessary, be taken for the election to the Council of States to be held in pursuance of its notification No. 100/CS-MT/1/72(1), dated the 20th March, 1972.

[No. 100/CS-MT/1/72(3).]

एस० ओ० 213(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 56 के अनुसरण में निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 100/रा० स० महा०/1/72 (1), तारीख 20 मार्च, 1972 के अनुसरण में राज्य सभा के लिये होने वाले निर्वाचन के लिये 10 बजे पूर्वाह्न से 1 बजे अपराह्न तक का समय उस समय के रूप में एतद्द्वारा नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो, मतदान होगा ।

[सं० 100/रा० स०—महा०/1/72 (3)]

S.O. 214(E).—In pursuance of the provisions of section 21 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission, in consultation with the Government of Maharashtra, hereby designates Shri G. G. Kudalkar, Deputy Secretary, Maharashtra Legislature Secretariat, as the Returning Officer for the election to the Council of States to be held in pursuance of its notification No. 100/CS-MT/1/72(1), dated the 20th March, 1972.

[No. 100/CS-MT/1/72(4).]

एस० ओ० 214(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 21 के उपबन्धों के अनुसरण में निर्वाचन आयोग महाराष्ट्र सरकार के परामर्श से, अपनी अधिसूचना सं० 100/रा० स०—महा०/1/72(1), तारीख 20 मार्च, 1972 के अनुसरण में राज्य सभा के लिये होने वाले निर्वाचन के लिये श्री जी० जी० कुडालकर, उपसचिव, महाराष्ट्र, विधान मंडल सचिवालय, को रिटानिंग आफिसर के रूप में एतद्द्वारा पदाभिहित करता है ।

[सं० 100/रा० स०—महा०/1/72(4)]

S.O. 215(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby appoints Shri D. G. Gupte, Under Secretary, Maharashtra Legislature Secretariat, to assist the Returning Officer for the election to the Council of States to be held in pursuance of its notification No. 100/CS-MT/1/72(1), dated the 20th March, 1972 in the performance of his functions.

[No. 100/CS-MT/1/72(5).]

By Order,

K. S. RAJAGOPALAN, Secy.

एस० आ० 315(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 100/रा० स०–महा०/1/72(1), तारीख 20 मार्च, 1972 के अनुसरण में राज्य सभा के लिये होने वाले निर्वाचन के लिये रिटर्निंग आफिसर की उसके कृत्यों के पालन में सहायता करने के लिये श्री डी० जी० गुप्त, अवर सचिव, महाराष्ट्र विधान मंडल सचिवालय की एतद्द्वारा नियुक्ति करता है ।

[स० 100/रा० स०–महा०/1/72(5)]

आदेश से,

के० एस० राजगोपालन, सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972